न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :–334 / 2022

1 नवदीप कुमार पुत्र मनोज कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. भगवन्ती पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णां देवी पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अजंना पुत्री महेन्द्र पत्नी अनिल कुमार जाट निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

– –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता – – वादी
2. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता – –प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 21.02.2024

वादी नवदीप कुमार ने प्रतिवादीया के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के दादा महेन्द्र के नाम से चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 में कुल 6.125 हैक्टर में कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में कुल 1.518 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के दादा महेन्द्र की मृत्यु 23.05.2022 को हो चुकी है। जिनके जायज व कानूनी वारीसान वादी व प्रतिवादीगण ही है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारा हो गया है व घरू बटवारा में वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी को प्राप्त हुई है व प्रतिवादीगण ने अपना अपना हिस्सा वादी को मौखिक रूप से हक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। वादी वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज बंटवारे में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की लगान जमा करवाता चला आ रहा है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में से महेन्द्र का नाम कलमजन करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व ग्राम मेहरवाला में निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज महेन्द्र के नाम की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 1 एम. डी. के खाता संख्या 60/47 व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में से महेन्द्र का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की दफा 2 में वादी के दादा महेन्द्र के नाम से चक नम्बर 1 एम.डी. के खातासंख्या 60/47 में कुल 6.125 हैक्टर में कृषि भूमि व इसी चुक के खाता संख्या 59/46 में कुल 1.518 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के दादा महेन्द्र की मृत्यु 23.05.2022 को हो चुकी है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बंटवारा हो गया है व घरू बंटवारा में वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को प्राप्त हुई है व हम प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। बादी वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है व वादी ही उक्त आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में से महेन्द्र का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व हम प्रतिवादीगण इससे पूर्णतया सहमत है। जवाबदावा के साथ जमाबन्दी की फोटो प्रतियां पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी आदि पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:42:39 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के दादा महेन्द्र के नाम से चक नम्बर 1 एम.डी. के खातासंख्या 60/47 में कुल 6.125 हैक्टर में कृषि भूमि व इसी चुक के खाता संख्या 59/46 में कुल 1.518 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के दादा महेन्द्र

की मृत्यु 23.05.2022 को हो चुकी है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बंटवारा हो गया है व घरू बंटवारा में वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी को प्राप्त हुई है व प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। वादी वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज महेन्द्र के नाम की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर महेन्द्र का नाम कलमजन करने का निवेदन किया गया है। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा सहमति प्रस्तुत कर मुताबिक जवाबदावा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जवाबदावा, पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत जमाबन्दी, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी महेन्द्र के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जवाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहे है। वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र व साक्ष्य के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद–पत्र में वर्णित महेन्द्र के नाम से चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 में दर्ज 6.125 हैक्टर व इसी चक के ख़ाता संख्या 59/46 में दर्ज 1.518 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में से महेन्द्र का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कियां जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की [illegible] रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस[illegible]हरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुस[illegible] पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 21.2.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–334 / 2022

1. नवदीप कुमार पुत्र मनोज कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. भगवन्ती पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्वर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णा. देवी पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी निवासी वार्ड नम्बर 12 मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अजंना पुत्री महेन्द्र पत्नी अनिल कुमार जाट निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– –प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 21.2.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की उपरिथति में इस वाद में आज तारीख 21.2.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जा[illegible] [illegible] अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित महेन्द्र के नाम से चक [illegible]बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 में दर्ज 6.125 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में दर्ज 1.518 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 60/47 व इसी चक के खाता संख्या 59/46 में से महेन्द्र का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested

कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 21.2.2024... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	——	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——	अर्जी के लिये स्टाम्प	——
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	——	प्लीडर की फीस	——
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	——	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——	आदेशिका की तामिल	——
कमिश्नर की फीस	——	कमिश्नर की फीस	——
आदेशिका की तामिल	——		
योग	——	योग	——

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:39 IST
Reason: SelfAttested